न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/04/2022	31–01–2022	28–06–2023

01– औम प्रकाश पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम झिरी तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

–: अपीलाण्ट

बनाम

01– सरकार जर्ये नायब तहसीलदार प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर।

–: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार प्रतापगढ दिनांक 19.08.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 73/2020

उपस्थितः–

01–श्री लक्ष्मणसिंह पंसारवाल –वकील अपीलाण्ट

02–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार प्रतापगढ के आदेश दिनांक 19.08.2020 प्रकरण संख्या 73/2020 जिसके द्वारा सम्वत 2077 में अपीलान्ट को ग्राम झिरी तहसील थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 2983 रकबा 1.30 है0 किस्म गैरमुमकिन नाडा में से रकबा 0.28 है0 में मकानात, फसल, पेड पोधे, पशु आवास व पक्की चार दिवारी का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर की गई बेदखली, पैनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत के समक्ष पटवारी हल्का झिरी ने अपीलान्ट के विरूद्व एक रिपोर्ट धारा अन्तर्गत 91 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गयी है, कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम झिरी के आराजी खसरा न0 2983 रकबा 0.03 है0 व 0.25 है0 किस्म गैर मुमकिन राडा में मकान, फसल, पेड पोधे व पक्की चार दिवारी कर अतिक्रमण किया गया है, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही कर दिनाक 19.08.2020 को अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर मौके से बैंदखली/शास्ति 50/रूपये की पैलन्टी कायम की गयी है। आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व तहत अदालत ने विधिक प्रकिया का कतई पालन नही किया गया है, जब अपीलान्ट नोटिस की तामील होने के बाद दिनाक 10.08.2020 की पेशी पर अपनी उपस्थिति दी तो रीडर ने अपीलान्ट के आर्डरशीट पर उपस्थिति के हस्ताक्षर करवा लिये तथा कहा कि पीठासीन अधिकारी कोरोना महामारी में प्रशासनिक व्यवस्थाओ में लगे हुये है, इस लिये

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अभी इस मामले में कोई कार्यवाही नही होगी तथा आपको पुनः नोटिस देकर तलब कर लिया जायेगा, उस समय समय अपना पक्ष प्रस्तुत कर देना। लेकिन इसके बाद अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नही किया गया तथा अपीलान्ट को बिना सुने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जबकि न्यायहित में अपीलान्ट को युक्तियुक्त रूप से सुनवाई का व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। तहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके पर जाकर कोई निरीक्षण नही किया गया, न ही पटवारी हल्का से उक्त आराजी की पैमाईश करवायी और न ही पटवारी के कोई बयान लिये गये। विवादित आराजी खसरा न0 2983 रकबा 1.30 है0 बहुत बडा रकबा है, तथा उसमें से 0.03, 0.25 है0 कुल 0.28 है0 भूमि पर अतिक्रमण होना बताया है। किन्तु यह बिना पैमाईश के सावित नही हो सकता है, कि किस तरफ कितनी आराजी पर अपीलान्ट का अतिक्रमण है, अर्थवा अतिक्रमण है भी या नही। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर की अनेको नजीरो में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है, कि जहॉ पटवारी हल्का ने बडे रकबे में से अतिक्रमण करके कोई छोटे रकबे पर अतिक्रमण किया हुआ है तो उसकी पैमाईश करके पहचान कराया जाना आवश्यक है। विवादित आराजी खसरा न0 2983 में गॉव के काफी लोगो ने मकान बना रखे है, तथा उनके द्वारा मौके पर रिहायश की जा रही है। विवादित आराजी खसरा न0 2983 से लगते हुए ही अपीलान्ट व उसके भाईयो की खातेदारी की आराजी खसरा न0 2984 रकबा 0.86 है0 है, जिसमें अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है। उक्त खातेदारी की आराजी खसरा न0 2984 में ही अपीलान्ट ने 5 पक्के कमरे बना रखे है, जिस पर विगत 2–3 सालो से अपने नाम से एक घरेलू बिजली कनेक्शन भी लिया हुआ है। तथा पानी की टंकी बना रखी है, तथा उपरोक्त मकान बुजुर्गो के समय से यानि विगत 35–40 सालो से बने हुये है, जिसमें अपीलान्ट अपने परिवार सहित रिहायश करता चला आ रहा है। जिसके तरफ पूर्व की ओर पक्का डण्डा बना रखा है, तथा कच्चे घर एवं टीनशेड का निर्माण किया हुआ है, जहा अपने मवेशियो को बांधता है, तथा छाया हेतु पेड पोधे लगाये हुये है। अपीलान्ट के मकानात स्वयं की खातेदारी की आराजी खसरा न0 2984 में ही बना रखे है, विवादित आराजी खसरा न0 2983 अपीलान्ट की खातेदारी आराजी खसरा न0 2984 से लगती हुयी है, जिसके बिच में कोई डोल नही है। अपीलान्ट के द्वारा आराजी खसरा न0 2983 पर कोई अतिक्रमण नही किया हुआ है। चूँकि दौनो खसरा नम्बरान के मध्य कोई डोल अथवा पहचान का चिन्ह नही है, ऐसी स्थिति में यदि पैमाईश करने पर पाया जाता है,तो भी अपीलान्ट को कदीमी कब्जा विगत 35–40 सालो से बदस्तूर होने के कारण विवादित आराजी खसरा न0 2983 विनियमन/आंवटन किये जाने योग्य है। अपीलान्ट दिनाक 10.08.2020 की पेशी पर उपस्थिति हुआ ओर आर्डरशीट पर उपस्थिति के हस्ताक्षर करवा लिये तथा कहा कि पीठासीन अधिकारी कोरोना महामारी में प्रशासनिक व्यवस्थाओ में लगे हुये है, इस लिये अभी इस मामले में कोई कार्यवाही नही होगी तथा आपको पुनः नोटिस देकर तलब कर लिया जायेगा, उस समय समय अपना पक्ष प्रस्तुत कर देना। लेकिन इसके बाद अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नही किया गया तथा अपीलान्ट को बिना सुने ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आलोच्य आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट के द्वारा दिनाक 30.12.2021 को आलोच्य आदेश की नकल हेतु आवेदन किया गया, जिस पर उसी रोज सायंकाल नकल प्राप्त हुयी। जिस पर कानूनी सलाह प्राप्त कर विलम्बदेरी किये दिनाक 30.12.2021 से बिना देरी के मामुलन अंदर अवधि प्रस्तुत है, आलोच्य आदेश दिनाक 19.08.2020 से आज तक का समय जेर दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत माफ किया जाकर मियाद में मुजरा फरमाया जावे। ओर जानकारी की दिनांक 29.12.2021 से अपील अपीलान्ट जो कि अंदर मियाद स्वीकार किये जाने योग्य है, तथा विलंब का समय युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने के कारण काविले माफ है, व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य साथ ही तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 19.08.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म गैर मुमकिन राडा है, जो भारत सरकार की अधिसूचना 07.05.1992 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की क्षेणी में आती है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2020 न्यायोचित प्रकियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.08.2020 के विरूद्व न्यायालय हाजा को दिनाक 11.01.2022 को अपील पेश की गयी है, जो एक वर्ष, चार माह, दस दिवस के पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 19.08.2020 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 30.12.2021 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि विवादित आराजी खसरा न0 2983 से लगते हुए ही अपीलान्ट व उसके भाईयो की खातेदारी की आराजी खसरा न0 2984 रकबा 0.86 है0 है, जिसमें अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है। उक्त खातेदारी की आराजी खसरा न0 2984 में ही अपीलान्ट ने 5 पक्के कमरे बना रखे है, जिस पर विगत 2–3 सालो से अपने नाम से एक घरेलू बिजली कनेक्शन भी लिया हुआ है। तथा पानी की टंकी बना रखी है, तथा उपरोक्त मकान बुजुर्गो के समय से यानि विगत 35–40 सालो से बने हुये है, जिसमें अपीलान्ट अपने परिवार सहित रिहायश करता चला आ रहा है। जिसके तरफ पूर्व की ओर पक्का डण्डा बना रखा है, तथा कच्चे घर एवं टीनशेड का निर्माण किया हुआ है, जहा अपने मवेशियो को बांधता है, तथा छाया हेतु पेड पोधे लगाये हुये है। अपीलान्ट के मकानात स्वयं की खातेदारी की आराजी खसरा न0 2984 में ही बना रखे है, विवादित आराजी खसरा न0 2983 अपीलान्ट की खातेदारी आराजी खसरा न0 2984 से लगती हुयी है, जिसके बिच में कोई डोल नही है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का झिरी द्वारा दिनाक 20.07.2020 को एक रिपोर्ट धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत इस आशय की पेश की गयी है, कि संवत 2077 में आराजी खसरा न0 2983 रकबा 1.30 है0 किस्म गैरमुमकिन नाडा में से रकबा 0.28 है0 में मकानात, फराल, पेड पोधे, पशु आवास व पक्की चार दिवारी का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर की गई है, प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण संख्या 73/2020 अतिक्रमी के विरूद्ध दिनाक 23.07.2020 को नोटिस जारी कर तलब किया गया जिसमें सुनवाई की तारीख पेशी दिनाक 10.08.2020 नियत की गयी। जारी नोटिस की एक प्रति अपीलान्ट को तामील करायी गयी। अपीलान्ट नियत तिथि पर उपस्थित होकर आदेशिका में अपने हस्ताक्षर किये गये। तहत अदालत की पत्रावली की आदेशिका दिनाक 10.08.2020 को पीठासीन अधिकारी दौरे में पधारने के कारण आगामी तारीख पेशी 19.08.2020 नियत की गयी नियत तिथि को अतिक्रमी उपस्थित नही होने के कारण अतिक्रमी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर निर्णय पारित किया गया है, जो उचित प्रतीत नही होता है, जो न्यायोचित प्रकियानुसार नही है। यहॉ यह भी उल्लेखनिय है, कि अपीलान्ट के कथनानुसार विवादित आराजी खसरा न0 2983 से लगते हुए ही अपीलान्ट व उसके भाईयो की खातेदारी की आराजी खसरा न0 2984 रकबा 0.86 है0 है, जिसमें अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है। उक्त खातेदारी की आराजी खसरा न0 2984 में ही अपीलान्ट ने 5 पक्के कमरे बना रखे है, जिस पर विगत 2–3 सालो से अपने नाम से एक घरेलू बिजली कनेक्शन भी लिया हुआ है। तथा पानी की टंकी बना रखी है, तथा उपरोक्त मकान बुजुर्गो के समय से यानि विगत 35–40 सालो से बने हुये है, वर्णित आराजी के संबंध में अतिक्रमी को पुनः सुनवाई/साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः जॉच कर विधिवत कार्यवाही किये जाने हेतु अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 19.08.2020 निरस्त किया जाता है, प्रकरण नायब तहसीलदार प्रतापगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी के संबंध में अतिक्रमी को पुनः सुनवाई/साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः जॉच कर सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)